18

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये　　Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH　　EP 959503

कोषागार गोण्डा-50
12 FEB 2019
मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

ट्रस्टडीड

सागर चैरीटेबल ट्रस्ट

समाज के सम्मानित व्यक्तियों, समाज सेवियों, शिक्षाविदों, सहयोगियों, दानियों तथा भारतीय संस्कृति के पोषक व्यक्तियों की एक बैठक **दिनांक–31.12.2018** को नजीरगंज चौराहा, ग्राम–परसदा, पोस्ट–विशुनापुर, परगना व तहसील गोण्डा सदर, जनपद–गोण्डा (उ0प्र0) पिन कोड–**271204** में प्रातः 10 बजे सम्पन्न की गयी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शैक्षिक, धार्मिक एवं सामाजिक आवश्यकतानुसार **"सागर चैरीटेबल ट्रस्ट"** की स्थापना किया जाये तथा इसका पंजीकरण कराया जाये। ट्रस्ट के गठन की आवश्यकता, उद्देश्य तथा उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्ताव पारित किया गया कि **"सागर चैरीटेबल ट्रस्ट"** के द्वारा ही समस्त कार्यक्रम संचालित होगें। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णयोपरान्त मैं मो0 शफीक रफीक खान पुत्र श्री रफीक खान प्रबन्धक पद पर कार्यरत हूँ को ट्रस्ट के गठन तथा ट्रस्ट को स्थापित करने का अधिकार सर्वसम्मति से दिया गया है।

हम ट्रस्टीज इस शुभ कार्य के लिए **मु0–51,000/–**रूपये इस ट्रस्ट को समर्पित करते है। अतः मैं मो0 शफीक रफीक खान इस न्यास पत्रक द्वारा उपरोक्त कार्य परियोजन व अन्य उद्देश्यों एवं परियोजनो जिनका विवरण इस न्यास–पत्रक में आगे विस्तार से उल्लिखित है, इस न्यास न्यासीगण को नामित एवं नियुक्ति कर जिनका नाम आगे इस न्यास पत्र में वर्णित है।"

1. **ट्रस्ट का नाम :–**　**"सागर चैरीटेबल ट्रस्ट"**
2. **ट्रस्ट का पता :–**　नजीरगंज चौराहा,
   ग्राम–परसदा, पोस्ट–विशुनापुर, पर0 व तहसील गोण्डा सदर, जनपद–गोण्डा (उ0प्र0) पिन–271204
3. **ट्रस्ट का कार्य क्षेत्रः– सम्पूर्ण भारत वर्ष**
4. **ट्रस्ट का उद्देश्यः–**

..........................2

NAZEER NATIONAL SCHOOL MANAGER NAZEER GANJ, GONDA

NAZEER NATIONAL SCHOOL PRINCIPAL NAZEER GANJ, GONDA

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EH 833685

1. क्षेत्र के नागरिकों ने देश की एकता, अखण्डता हेतु देश प्रेम की भावना जागृत करना एवं राष्ट्रीय एकता, सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास करना।
2. जनहितार्थ पूजा स्थल, धर्मशाला, धर्मार्थ आश्रम, वृद्धा आश्रम, अनाथालय, विधवा आश्रम, व्यायामशाला आदि की स्थापना करना तथा स्मारक, सरोवर आदि का निर्माण एवं जीर्णोद्धार करना।
3. जन कल्याणार्थ आश्रम पद्धति पर आधारित शिक्षा संस्थानों का निर्माण करना।
4. बालक/बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था हेतु विद्यालय/महाविद्यालय की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।
5. ट्रस्ट द्वारा धर्मार्थ चिकित्सालय, औषधालय, वाचनालय, पुस्तकालय, छात्रावास आदि का निर्माण करना एवं निःशुल्क संचालन करना।
6. दैवी आपदाओं में जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकाण्ड, भूकम्प, तूफान आदि में राहत कार्य करना एवं पीड़ित व्यक्ति की हर सम्भव सहायता करना।
7. उक्त न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, समाज कल्याण विभाग, सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंकों द्वारा ऋण प्राप्त करना तथा विदेशी संस्थाओं, वित्तीय संस्थाओं एवं अन्य इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से चल–अचल सम्पत्ति दानस्वरूप प्राप्त करना तथा भपन आदि का निर्माण करना।
8. न्यास को सम्पन्न, समृद्ध एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु धन, सम्पत्ति, भूमि, भवन, वाहन, उपकरण इत्यादि क्रय करना अथवा समाज से प्राप्त करना।
9. समाज के मंदबुद्धि, मूक बधिरों, विकलांगों, नेत्रहीनों, विधवाओं, वृद्धों, मजदूरों, कारीगरों तथा निराश्रित बेरोजगारों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना।
10. निराश्रित बच्चों तथा महिलाओं के संरक्षण एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना...............................3

NAZEER NATIONAL SCHOOL MANAGER NAZEER GANJ, GONDA

NAZEER NATIONAL SCHOOL PRINCIPAL NAZEER GANJ, GONDA

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार गोण्डा-50

12 FEB 2019

EP 959501

11. हस्तकला पर आधारित महिलाओं को उनकी योग्यतानुसार चिकन, कढ़ाई, पेन्टिग, एवं अन्य हाथ के द्वारा तैयार किये गये वस्तुओं पर डिजाइन का कार्य कराया जायेगा तथा उनको प्रशिक्षित किया जायेगा तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा लगायी जा रही विभिन्न प्रकासु के प्रोवसेनरी एवं मेलो का आयोजन सरकार द्वारा प्राप्त सहयोग से किया जायेगा।
12. गरीब एवं असहाय बालक/बालिकाओं को सिलाई कढ़ाई, संगीत, बुनाई, ब्यूटीशियन फैशन डिजाइनिंग, इंग्लिस स्पीकिंग एवं शिल्पकला, काष्ठकला, दरी कालीन, टंकण, आशुलिपिक, कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं ग्रामोद्योगिक प्रशिक्षण दिलाने की निःशुल्क व्यवस्था करना।
13. मूल बाधिर, विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक तथा गरीब असहायों के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण करना।
14. *शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु प्राथमिक विद्यालय इण्टर कालेज, महाविद्यालय, नवीनतम तकनीकी,* प्राविधिक, औद्योगिक शिक्षा, विधि कालेज, व्यवसायिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा (चिकित्सा/मेडिकल कालेज), फार्मेसी, पैरामेडिकल, बॉयोटेक संस्थान, आयुष शिक्षा, बी0एड0/बी0पी0एड0/बी0टी0सी0 प्रशिक्षण, आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक, बी0एल0एड0 आदि शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना।
15. पर्यावरण संरक्षण, नशा उन्मूलन, परिवार कल्याण, नारी सशक्तिकरण, जनसंख्या नियन्त्रण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, कृष्ठ उन्मूलन, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, पर्यटक विकास, कृषि विविधीकरण, हरियाली कार्यक्रम, गौ–संरक्षण, गौ–पालन, भूमि एवंज ल प्रबन्धन, आपदा प्रबन्धन, वन संरक्षण एवं वनजीव संरक्षण, पशु पालन, दुग्ध विकास, पशु–पक्षी (जीव–जन्तु) संरक्षण आदि कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।
16. जन–कल्याण हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार व संचालन करना।

..........................4

NAZEER NATIONAL SCHOOL MANAGER NAZEER GANJ, GONDA

NAZEER NATIONAL SCHOOL PRINCIPAL NAZEER GANJ, GONDA

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
EP 959500
कोषागार गोण्डा-50
12 FEB 2019
मुख्य कोषाधिकारी

17. बाल तथा बंधुवा मजदूरी पर रोक लगाने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करना।

18. उन्नत कृषि हेतु वैज्ञानिक खेती की विधियों का प्रचार–प्रसार करना व कृषि शोध संस्थान की स्थापना करना तथा कृषकों को उन्नतिशील बीच एवं कृषि यंत्रों की तकनीक की जानकारी प्रदान करना।
19. स्वच्छ जल आपूर्ति हेतु चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे–स्वजल, जलनिधि, पेयजल मिशन एवं स्वजल धारा परियोजना का प्रचार–प्रसार एवं निःशुल्क क्रियान्वयन करना।
20. जनता के लिए मोबाइल अस्पताल की स्थापना करना तथा निःशुल्क दवा व इलाज की व्यवस्था करना तथा मोतियाबिन्द व नेत्र इलाज के लिए स्वस्थ्य शिविर कैम्पों का संचालन करना।
21. स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य जागरूकता शिविर, एड्स जागरूकता, पल्स पोलियो, हेपाटाइटिस जागरूकता, अंधता निवारण, कुष्ठ नियंत्रण, क्षय रोग आदि के नियंत्रण का उपाय करना, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा करना व बचाव करना एवं शोध संस्थान स्थापित करना।
22. गरीब एवं निराश्रित कन्याओं व मध्यवर्गीय परिवार की कन्याओं के विवाह हेतु संस्था के माध्यम से सहायता करने का प्रयास करना।
23. समाज में व्याप्त अंधविश्वास, दहेज, दहेज उत्पीड़न, बाल–विवाह आदि की रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक करना।

..............................5

NAZEER NATIONAL SCHOOL MANAGER NAZEER GANJ, GONDA

NAZEER NATIONAL SCHOOL PRINCIPAL NAZEER GANJ, GONDA

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EP 959499

कोषागार गोण्डा-50

12 FEB 2019

-5-

मुख्य कोषाधिकारी गोण्डा

न्यास के सदस्यों/पदाधिकारियों की सूची:-

क्र0 सं0	नाम पिता/पति का नाम	पता	पद
1–	मो0 शफीक रफीक खान पुत्र श्री रफीक खान	403 खत्री इन्क्लेब निकट-जे0एम0एम0 स्कूल बेहरामबाग जोगेश्वरी पश्चिम मुम्बई महाराष्ट्रा। पिन कोड-400102	प्रबन्धक Shafiq
2–	शाहाबुद्दीन मकसूद खान पुत्र श्री मकसूद खान	दुकान नं0-5 मुस्तफा मार्केट, जहूर नगर खेरानी रोड रेहमानी होटल साकीनाका मुम्बई पिन कोड-400072	अध्यक्ष शहाबुद्दीन खाँ
3–	श्रीमती आरिफा शफीक खान पत्नी श्री शफीक खान	403 खत्री इन्क्लेब निकट-जे0एम0एम0 स्कूल बेहरामबाग जोगेश्वरी पश्चिम मुम्बई महाराष्ट्रा। पिन कोड-400102	सचिव Arifa
4–	मो0 रफीक खान पुत्र श्री मो0 नजीर खान	विद्यानगर बाजार, पोस्ट-मोतीगंज, पर0तह0-मनकापुर, जिला-गोण्डा।	सदस्य मो० रफीक
5–	मानवेन्द्र सिंह पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह	विद्यानगर पो0-मोतीगंज, पर0तह0 गोण्डा सदर, जनपद-गोण्डा।	सदस्य मानवेन्द्र सिंह

5. ट्रस्ट के धन विनियोग:-

..............................6

NAZEER NATIONAL SCHOOL MANAGER NAZEERGANJ, GONDA

NAZEER NATIONAL SCHOOL PRINCIPAL NAZEERGANJ, GONDA

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार गोण्डा-50

12 FEB 2019

EP 959498

1. ट्रस्ट के धन का विनियोग आयकर विधान की धाराओं एवं अन्य संबंधित प्रावधानों के उद्देश्यों के लिए किया जायेगा।
2. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश–विदेश से दान लेना, धन संग्रह करना एवं ट्रस्ट क हित में व्यय करना व ट्रस्ट की अनुमति प्राप्त करके भूमि/भवन इत्यादि का क्रय–विक्रय, निर्माण करना, बंधक रखना, पट्टे पर लेना, लीज पर देना, क्रय विनियम, बैंक व्यवहार करना एवं जो भी आवश्यक कार्य हों उन्हें करना या किसी भी भांति से उपयोग में लाना।
3. अपने समस्त कार्यो हेतु ट्रस्ट के धन का विनियोग करना जो ट्रस्ट एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों के हित में हों, अर्थात् लाभकारी हो।

6. **ट्रस्ट की सदस्यता:–**

हर वह स्त्री अथवा पुरूष जिसने 18 वर्ष की आयु पार कर ली है एवं किसी न्यायालय द्वारा दण्डित न किया गया हो, पागल अथवा दिवालिया न घोषित हो, स्थाई सदस्यों के द्वारा अनुमोदित करने के उपरान्त प्रबन्धक के हस्ताक्षर से ट्रस्ट का सदस्य बन सकता है।

7. **ट्रस्ट मण्डल:–**

1. ट्रस्ट का एक स्थायी मण्डल होगा, जिसमें सदस्यों की संख्या न्यूनतम 5 (पांच) की होगी।
2. ट्रस्ट में नामित सदस्यों की नियुक्ति ट्रस्ट मण्डल द्वारा प्रबन्धक के साथ मिलकर2/3 सदस्यों के बहुमत के आधार पर आवश्यकतानुसार की जा सकती है।
3. ट्रस्ट के पदाधिकारियों/सदस्यों का कार्यकाल आजीवन होगा और उनके मृत्योपरान्त अथवा ऐसी अक्षमता, जिसमें वो कार्य एवं कारण तथा उसके परिणाम को न समझ सकें, से ग्रसित होने पर उनका प्रथम कानूनी उत्तराधिकारी प्राथमिकता के क्रम या प्रबन्धक व सचिव द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति हो सकता है।
4. ट्रस्ट के स्थाई, अस्थायी एवं नामित सदस्यों की नियुक्ति प्रबन्धक के निर्णय से ही की जायेगी।

..............................7

NAZEER NATIONAL SCHOOL MANAGER NAZEER GANJ, GONDA

NAZEER NATIONAL SCHOOL PRINCIPAL NAZEER GANJ, GONDA

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार गोण्डा-50

BT 470603

05 DEC 2018

5. किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में प्रबन्ध ट्रस्टी द्वारा निर्णय ही मान्य होगा।
6. ट्रस्ट मण्डल के द्वारा लिये गये सभी निर्णयों एवं कार्यो का क्रियान्वयन ट्रस्ट के प्रबन्धन की सहमति के बाद ही मान्य होगी।
7. ट्रस्ट का सदस्य भविष्य में ट्रस्ट मण्डल के 2/3 सदस्यों के बहुमत से ही बनाया जा सकेगा।
8. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रबन्धक की अनुमति से ट्रस्ट मण्डल विभिन्न समूहों (यूनिटों) का गठन कर सकेगा।

7.अ. ट्रस्ट के न्यासीगण की नियुक्ति

इस ट्रस्ट–पत्रक द्वारा नियुक्त सभी ट्रस्टीगण ट्रस्ट के स्थाई ट्रस्टी होगें। उन्हें अपने जीवनकाल में अपने स्थान पर न्यासी नामित/नियुक्त करने का अधिकार होगा। वे अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नामित/नियुक्त कर सकेंगें। ऐसा न होने पर शेष बचे न्यासी मृतक के परिवार के किसी योग्य व्यक्ति को सर्वसम्मति या बहुमत से प्रस्ताव कर भविष्य में न्यासी नियुक्त करेंगे। मृतक ट्रस्टी के परिवार में यदि कोई योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो न्यास के शेष न्यासी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह न्यास के स्थायी ट्रस्टीगण के परिवार का हो तथा ट्रस्ट के हित तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समर्पित हो। न्यास के पदाधिकारी/स्थायी ट्रस्टी को अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को न्यासी नियुक्त करने का अधिकार होगा।

7.ब. बैठक:–

ट्रस्टीज की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आवश्यक होगी तथा विशेष बैठक आश्यकतानुसार 15 दिन या 24 घण्टे पूर्व कभी भी बुलायी जा सकती है।

7.स. कोरम:–

.........................8

NAZEER NATIONAL SCHOOL MANAGER NAZEER GANJ, GONDA

NAZEER NATIONAL SCHOOL PRINCIPAL NAZEER GANJ, GONDA

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
BT 470602
कोषागार गोण्डा-50
मुख्य कोषाधिकारी गोण्डा

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के कुल विशिष्ट सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम माना जायेगा।

7.द. ट्रस्टीज बोर्ड के अधिकार एवं कर्तव्यः–

1. पूर्व बैठक की कार्यवाही की स्वीकृति देना।
2. आगामी वर्ष के बजट पर सहमति प्रदान करना।
3. किसी ऐसे कार्यो के लिए कार्यवाही करना जिसे प्रबन्धक ने कार्यवाही हेतु बैठक में पेश किया हो।
4. किसी विशेष आवश्यकता के लिए उपसमिति बनाना।
5. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्य करना।
6. ट्रस्ट वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना/करवाना।
7. ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
8. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह कार्य करना जिससे ट्रस्ट का लाभ हों।

8– ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्यः–

प्रबन्धकः–

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
3. बैठक के लिए दिनांको का अनुमोदन करना एवं परिवर्तन करना।
4. ट्रस्ट के वित्तीय मामलों में सलाह देना।
5. समस्त सदस्यों, कर्मचारियों को दायित्व सौंपना, उनके कार्यक्षेत्र एवं दायित्वों में परिवर्तन, परिवर्द्धन करना।
6. ट्रस्ट के हित में आवश्यकतानुसार अन्य ट्रस्टीज/पदाधिकारियों की नियुक्ति करना।

......9

NAZEER NATIONAL SCHOOL MANAGER NAZEER GANJ, GONDA

NAZEER NATIONAL SCHOOL PRINCIPAL NAZEER GANJ, GONDA

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 473321

कोषागार गोण्डा-50

20 MAR 2016

7. ट्रस्ट के हितों के विरूद्ध कार्य करने पर किसी भी सदस्य/पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना एवं निष्कासित करना।
8. शासकीय कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करना।
9. चल एवं अचल सम्पत्ति की देखरेख एवं सुरक्षा करना।
10. ट्रस्ट के नियमावली में ट्रस्ट के हित में किये गये संशोधन को स्वीकृति देना।
11. अन्य वित्तीय कार्यों जो भी हों, उन्हें सम्पादित करना।
12. पक्ष–विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।
13. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न समूहों के गठन हेतु स्वयं प्रस्ताव देना अथवा सदस्यों द्वारा दिये गये प्रस्ताव को स्वीकार करना। तत्पश्चात् प्रबन्ध ट्रस्टीज में बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद समूहों के गठन हेतु स्वीकृति/अनुमति प्रदान करना।
14. ट्रस्ट के अधीन प्रत्येक कमेटियों/यूनिटों (जिसमें प्रत्येक प्रकार की कमेटियाँ, यूनिटें सम्मिलित हैं) पदाधिकारियों, कर्मचारियों आदि के अधिकार प्रबन्ध ट्रस्टीज में निहित माने जायेंगे अर्थात इनके समस्त अधिकार प्रबन्धक की अनुमति/सहमति के अन्तर्गत ही होंगे।

अध्यक्षः–

प्रबन्धक की अनुपस्थिति में प्रबन्धक द्वारा सौंपे गये कार्य करना तथा उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

सचिवः–

1. बैंक खाते का संचालन प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से करना।
2. ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना।
3. बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना तथा दान एवं अनुदान चन्दा आदि प्राप्त करना तथा उसकी यथाविधि रसीद देना।
4. कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवामुक्ति करना।

..........................10

NAZEER NATIONAL SCHOOL MANAGER NAZEER GANJ, GONDA

NAZEER NATIONAL SCHOOL PRINCIPAL NAZEER GANJ, GONDA

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 470600

5. संस्था की बैठकों की सूचना ट्रस्ट के सदस्यों को देना।
6. ट्रस्ट की कार्यवाही लिपिबद्ध करना।
7. बैठक का एजेण्डा तैयार करना।
8. ट्रस्ट की ओर से पत्र व्यवहार करना।
9. ट्रस्ट में मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।
10. समस्त संस्थाओं/एजेन्सियों/विभागों/मंत्रालयों से संबंधित समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।

9—ट्रस्ट के नियम में संशोधन व परिवर्तनः—

ट्रस्ट के विधान व नियम से संशोधन एवं परिवर्तन के लिए ट्रस्ट के प्रबन्धक की अनुमति आवश्यक होगी। ऐसे संशोधन व परिवर्तन करने के लिए माह पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी तथा ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 सदस्यों के बहुमत के आधार पर ही ट्रस्ट के विधान या नियम में संशोधन या परिवर्तन किया जायेगा।

10—ट्रस्ट का कोषः—

ट्रस्ट का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा। जिसका आहरण/संचालन प्रबन्धक और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

11—ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा परीक्षण/आडिटः—

ट्रस्ट के आय का परीक्षण/आडिट किसी योग्य आडीटर द्वारा प्रबन्धक की सहमति से आवश्यकतानुसार कराया जायेगा।

12—ट्रस्ट द्वारा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरादायित्वः—

ट्रस्ट द्वारा होने वाले समान अदालती कार्यवाही की पैरवी प्रबन्धक अथवा उनके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा की जायेगी।

..............................11

NAZEER NATIONAL SCHOOL MANAGER NAZEER GANJ, GONDA

NAZEER NATIONAL SCHOOL PRINCIPAL NAZEER GANJ, GONDA

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार गोण्डा-50

BT 470599

5 DEC 2018

—11—

मुख्य कोषाधिकारी गोण्डा

13—ट्रस्ट की सम्पत्तिः—

"सागर चैरीटेबल ट्रस्ट" की समस्त चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट की सम्पत्ति रहेगी। किसी भी समय पर किसी भी रूप में चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट को प्राप्त होती है तो वह ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी। ट्रस्ट के किसी भी सदस्य को प्राप्त चल व अचल सम्पत्ति एवं नगदी ट्रस्ट की होगी। वह राशि निकालते समय प्रबन्धक के पद की मुहर एवं हस्ताक्षर तथा प्रबन्धक की अनुमति आवश्यक होगी।

14—ट्रस्ट की सम्पत्ति के हस्तान्तरण का अधिकारः—

ट्रस्ट की वर्तमान या भविष्य में प्राप्त होने वाली सम्पत्ति के हस्तान्तरण का अधिकार न्यासी के सहमति के आधार पर प्रबन्धक को प्राप्त रहेगा। न्यास के पदाधिकारियों के निर्णयानुसार कोई भूमि, भवन, वस्तु ट्रस्ट के हित में क्रय करने तथा दैनिक उपयोग में ट्रस्ट की आवश्यकतानुसार चल व अचल सम्पत्ति का क्रय/विक्रय करने का अधिकार

प्रबन्धक को होगा। ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय चाहे वह किसी भी हालात से प्राप्त हो केवल ट्रस्ट के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ही जमा होगा।

अतः मुझ प्रथम न्यासी/प्रबन्धक मो0 शफीक रफीक खान पुत्र मो0 रफीक द्वारा इस न्यास पत्रक को दिनांक—......./02/2019 को निष्पादित किया गया है कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवें।

.............................क्रमशः 12 पर

PRINCIPAL NAZEER GANJ, GONDA

NAZEER NATIONAL SCHOOL MANAGER NAZEER GANJ, GONDA

NAZEER NATIONAL SCHOOL PRINCIPAL NAZEER GANJ, GONDA

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

59AD 179577

हस्ताक्षर

(मो0 शफीक रफीक खान)
पुत्र रफीक खान
403 खत्री इन्क्लेव निकट–जे0एम0एम0 स्कूल
बेहरामबाग जोगेश्वरी पश्चिम मुम्बई महाराष्ट्रा।
प्रबन्धक

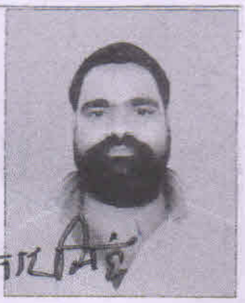

प्रथम गवाह

ध्रुव कुमार सिंह
पुत्र श्री आद्याशंकर सिंह
ग्राम–विद्यानगर, पो0–मोतीगंज,
पर0 व तह0 गोण्डा सदर,
जिला–गोण्डा।
पिन कोड–271301
मो0नं0–9839232421

द्वितीय गवाह

इसरार अहमद
पुत्र श्री निसार अहमद
ग्राम–विद्यानगर, पो0–मोतीगंज,
पर0 व तह0 गोण्डा सदर,
जिला–गोण्डा।
पिन काड–271301
मो0नं0–9628204872

NAZEER NATIONAL SCHOOL
MANAGER
NAZEER GANJ, GONDA

NAZEER NATIONAL SCHOOL
PRINCIPAL
NAZEER GANJ, GONDA

आवेदन सं०: 201900928003998

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 56 के पृष्ठ 347 से 372 तक क्रमांक 18 पर दिनाँक 22/02/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सौरभ कुमार सिंह
उप निबंधक : सदर
गोंडा
22/02/2019

NAZEER NATIONAL SCHOOL MANAGER NAZEER GANJ, GONDA

NAZEER NATIONAL SCHOOL PRINCIPAL NAZEER GANJ, GONDA